International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030, Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 3; May 2017; Page No. 193-195

क्षेत्रीय दल बनाम राष्ट्रीय एकीकरण

प्रदीप कुमार

जे.बी.टी. शिक्षक सरकारी प्राथमिक विद्यालय, धाणी शोभा, रेवाड़ी, हरियाणा, भारत।

सारांश

राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य किसी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में हम की भौवना का होना है। जब किसी राष्ट्र के सभी व्यक्ति किसी भी आधार पर भावनात्मक एकता का अनुभव करते हैं एवं राष्ट्रहित के आगे अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों का त्याग करते हैं तो यह कहा जाता है कि उस राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र का मुख्य तत्व होता है। बिना इसके राष्ट्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय एकता के अभाव में कोई भी राष्ट्र बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। राष्ट्रीय एकता के लिए भावनात्मक एकता आवश्यक है। किसी भी राज्य की राष्ट्रीय एकता और अखण्डता उसके लिए सर्वोपरि होती है। कोई भी राज्य यह सहन नहीं कर सकता कि उसकी अखण्डता का विनाश हो। राष्ट्रीय अखण्डता एकीकरण पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय एकीकरण राज्य की प्रथम आवश्यकता है। राज्य के विकास के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के अन्दर रहने वाले विभिन्न लोगों में एकता की भावना हो यही भावना राष्ट्रीय एकीकरण का सार है। राष्ट्रीय एकीकरण की भावना द्वारा विभिन्न धर्मो, जातियों व भाषाओं के लोगों में परस्पर मेलजोल बढ़ाकर एकता का विकास किया जाना है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा0 राधाकृष्णन के अनुसार, 'राष्ट्रीय एकीकरण एक घर नहीं है जो चूने और ईंटों से बनाया जा सकता है। यह एक औद्योगिक योजना भी नहीं है जिस पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जाए और रचनात्मक रुप दिया जाए। इसके विपरीत एकीकरण एक ऐसा विचार है जिसका विकास लोगों के दिलों में होता है।' यह एक चेतना है जिसने जन साधारण को जागृत करना है। अत: राष्ट्रीय एकीकरण उस भावनात्मक तथा विचारात्मक एकता का नाम है जो सभी भारतवासियों को प्रांत, भाषा, जाति, मजहब, क्षेत्र, नस्ल, वर्ग आदि की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर उन्हें एक सूत्र में बांधती है और उन्हें इस राष्ट्र की सनातन परम्परा के अनुसार विविधता में एकता का साक्षात्कार कराती है। चूंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। राजनीतिक दल अपनी नीतियों, कार्यक्रमों द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं तथा जटिल मुद्दों पर जनमत निर्माण का कार्य करते हैं। प्राय: भारत में आरम्भ से ही यह दृष्टिगोचर होता है कि क्षेत्रीय दल जो अपने-अपने राज्यों व क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रखते हैं अपनी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थो के कारण कभी-कभी अपनी नीतियों, कार्यक्रमों, विचारों से राष्ट्रीय एकीकरण की भावना के समक्ष संकट पैदा कर देते हैं।

मूल शब्द: राष्ट्रीय एकीकरण, लोकतन्त्र, संकीर्ण स्वार्थ, क्षेत्रीय दल ।

प्रस्तावना

भारत एक विशाल देश है तथा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अपनी भाषायी, धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय विविधताओं के कारण आरम्भ से ही राष्ट्रीय एकीकरण मुख्य समस्या रही है। आज देश में अनेक जातियां निवास करती हैं जो अपने को अन्यों से श्रेष्ठत्तर मानती हैं। इसी प्रकार अपने देश में विभिन्न सम्प्रदाय के लोग रहते हैं, जिनमें कुछ आधारभूत भिन्नताएं हैं जिससे आपस में द्वेष एवं ईर्ष्या रहती है, फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न होता है। अपने देश में क्षेत्रीयता एवं प्रान्तीयता राष्ट्रीय एकता में बाधक है। देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त की भाषा, सभ्यता एवं संस्कृति में भिन्नताएं मिलती हैं जिससे लोग स्वयं को एक दूसरे से भिन्न समझते हैं तथा श्रेष्ठतम समझते हैं और इसी संकीर्ण मानसिकता के चलते राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। भाषावाद इसमें अहम् भूमिका निभाती है। भिन्न भिन्न भाषाभाषी दूसरों से अपने को भिन्न समझते हैं। भाषा के आधार पर प्रान्तों का गठन राष्ट्रीय एकता में बाधक सिद्ध हुआ है। भारतीय समाज की इन्हीं विविधताओं का लाभ क्षेत्रीय राजनीतिक दल उठाते हैं। अपने-अपने क्षेत्रों में राजनीतिक प्रभाव रखने वाले ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल ऐसे संकीर्ण मुद्दों को हवा देते हैं तथा लोगों की भावनाओं का लाभ उठाकर वोट बटोरना चाहते हैं। वस्तुत: ऐसे क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती बन जाते हैं। राजनीतिक दलों को मोटे तौर पर दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है - राष्ट्रीय दल तथा राज्यस्तरीय या क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल मुख्यत: राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ते हैं जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्तर या किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में मुख्य रूप से दो राजनैतिक दल मौजूद थे - कांग्रेस तथा साम्यवादी दल। बाद में धीरे-धीरे अन्य दलों का उदय हुआ। 1949 में तमिलनाडू में 'डी.एम.के.' की स्थापना हुई। 1951 में डॉ0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 'भारतीय जनसंघ' की

स्थापना हुई। 1959 में स्वतंत्र पार्टी का जन्म हुआ। सन् 1952 में जब देश में पहले आम चुनाव हुए तो उस समय 14 दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर तथा 51 दलों ने क्षेत्रीय (राज्य) स्तर पर इनमें भाग लिया। आज लगभग हर राज्य में क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति हैं। इस समय देश में डी.एम.के., शिव सेना, बीजू जनता दल, अकालीदल, तेलगूदेशम, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस, समाजवादी पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल, जे.डी.यू., ए.आई.ए.डी.एम.के., तेलंगाना राज्य समिति, वाई.एस.आर. कांग्रेस, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया, आम आदमी पार्टी आदि प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। प्रायः क्षेत्रीय दल राज्यों में अपनी सुविधानुसार राजनीति करते हैं। जब कभी इनके अस्तित्व और सत्ता पर संकट आता है तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर क्षेत्रीय, भाषायी, स्वायतता, जातीयता आदि मुद्दों को उछालना शुरु कर देते हैं। अधिकांशत ये दल राज्यों को बांटना और उससे होने वाले फायदे के लिए अकाट्य वकालत करते हैं तथा विकास का तर्क देते हैं जनता की खुशहाली के लिए ऐसे मुद्दों का आवश्यक बताते हैं। लेकिन भोली-भाली जनता इनके वास्तविक मंसूबों से अनभिज्ञ होकर ऐसे विभाजनकारी मुद्दों का समर्थन कर देती हैं। 'मराठी मानुष' की धारणा, दक्षिण-दक्षिण भारतीयों के लिए, किसी एक विशेष दल द्वारा विशेष जाति या वर्ग का ठेकेदार बन उन्हीं के मुद्दों को उठाना अन्ततः राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक होते हैं। आज कश्मीर में जो अलगाववाद की बयार बह रही है उसके पीछे भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यही कारण जिम्मेदार हैं। यद्यपि भारत एक संघीय राज्य है तथा संविधान निर्माताओं ने यहां 'सहकारी संघवाद' की परिकल्पना की थी, ऐसा उन्होंने विशाल देश की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए सोचा था। परन्तु गठबंधन सरकारों के युग में क्षेत्रीय दलों की ब्लैकमेलिंग के कारण 'सहकारी संघवाद' 'सौदेबाजी के संघवाद' में बदलता देखा गया। गठबंधन की सरकारों की सारी ऊर्जा अपनी सरकार बचाने के लिए सहयोगियों को खुश करने में ही व्यर्थ हो जाती है और देश विकास के बदले विनाश की ओर खिसकता चला जाता है।

चूंकि भारत एक विशाल लोकतंत्र है और लोकतंत्र एक गतिशील और जीवन्त राजनीतिक व्यवस्था है, जिसकी रीढ़ राजनीतिक दल माने जाते हैं। देश में स्थापित संसदीय व्यवस्था दलीय आधार पर कार्य करती है। इन दलों का मुख्य कार्य चुनाव में भाग लेना, विभिन्न मुद्दों पर जनमत का निर्माण करना, अपने राजनीतिक कार्यक्रमों, उद्देश्यों की घोषणा करना, निर्वाचकगणों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना तथा योग्य उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करना रहा है। इन सबके अतिरिक्त राजनीतिक दल का मुख्य कार्य अपने नीतियों, कार्यक्रमों द्वारा विकास एवं राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना है। राष्ट्रीय दल तो न्यूनाधिक इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते प्रतीत होते हैं परन्तु क्षेत्रीय दल प्रायः सत्ता प्राप्त करने के लिए संकीर्ण (क्षेत्र, धर्म, भाषा पर आधारित) मुद्दों को हवा देकर सत्ता प्राप्त करने का 'शॉर्ट कट' इस्तेमाल करने लगते हैं।

भारत एक विशाल देश है। विविधता में एकता भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत के स्वाधीनता संग्राम की सबसे बड़ी विशेषता थी भारत की एकता, आजादी के संघर्ष में उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी क्षेत्र के लोगों ने समान रूप से अपनी आहूति दी। भाषा, रहन-सहन तथा सांस्कृतिक विविधता के बावजूद सम्पूर्ण भारत एक विशाल चट्टान की तरह स्वाधीनता संग्राम में खड़ा रहा और अपनी आजादी के लक्ष्य को पूरा किया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने भाषा, क्षेत्र व धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने का प्रयास किया था। बंगाल विभाजन, पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था आदि ऐसे ही प्रयास थे लेकिन अन्ततः वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय बाद ही भाषा, सांस्कृतिक व क्षेत्रीय आधार पर पृथक राज्यों की मांग ने जोर पकड़ा और क्षेत्रीय दलों ने ऐसे मांगों को और हवा दी। परिणामस्वरूप 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद 14 राज्यों व 6 केन्द्रशासित प्रदेशों की स्थापना हुई। पूर्वोत्तर में अलग राज्यों की मांग को हमारे दुश्मनों ने मदद देनी आरम्भ कर दी परिणाम स्वरूप वहां हिंसक आन्दोलन व आतंकवाद ने पैर प्रसार लिए। पिछड़ेपन, भाषा, धर्म के आधार पर क्षेत्रीय आन्दोलनों की मांग बढ़ती चली गई परिणामस्वरूप राज्यों की संख्या 14 से बढ़कर 29 हो चुकी है। ऐसे आन्दोलनों को क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए और भड़काया तथा इन आन्दोलनों में हिंसक प्रदर्शन हुए तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे आन्दोलनों से राष्ट्रीय एकता की भावना को क्षति पहुंचती है। क्षेत्रीयतावाद का स्वरूप सिर्फ पृथक राज्य की मांग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पृथक राष्ट्र की मांग भी इस आधार पर होने लगी। राष्ट्रीय एकता की भावना पर चोट करते हुए क्षेत्रीयतावाद के आन्दोलन को प्रबल बनाने में तमिलनाडू के द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी ने 1950 में मद्रास राज्य में पृथकतावादी आन्दोलन संगठित किया और मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, केरल और मैसूर राज्यों को भारतीय संघ से अलग करके एक पृथक सम्प्रभु 'द्रविड़स्थान' राज्य बनाए जाने की मांग की। मास्टर तारासिंह के नेतृत्व में पंजाब के सिख सम्प्रदाय ने अलग 'खालिस्तान' की मांग की जिसको लेकर बाद में यह समृद्ध प्रदेश 'आतंकवाद' के जहरीले सर्प की जकड़ में आ गया था। 1980 के दशक में सिख चरमपंथियों ने हिसंक आन्दोलनों से पृथक पंजाबी सूबे की मांग की तथा 'आनन्दपुर साहिब' प्रस्ताव पास किया। इन चरमपंथियों को पाकिस्तान की ओर से हथियार व धन उपलब्ध करवाए गए। वर्तमान में कश्मीर में अलगाववाद की लहर चल रही है तथा कुछ अलगाववादी 'स्वतंत्र कश्मीर' का स्वप्न देख रहे हैं। इन लोगों को पाकिस्तान की ऐजेंसी आई.एस.आई. हथियार व प्रशिक्षण उपलब्ध करवा रही हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन राज्यों के क्षेत्रीय दल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे आन्दोलनों का समर्थन करते रहे हैं कभी स्वायत्तता के नाम पर कभी आर्थिक अनुदान व संसाधनों के नाम पर। जब केन्द्र और राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी की

सरकार होती है तो ऐसी मांगे कम होती है लेकिन जब राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें होती हैं तो वे स्वायत्तता का राग अलापने लगती हैं। भारत की राजनीतिक संस्कृति के अन्तर्गत दो उप संस्कृतियां पनप रही हैं। वे हैं उत्तर भारत की संस्कृति तथा दक्षिण भारत की संस्कृति। दक्षिण भारत में यह आम धारणा है कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के हितों की उपेक्षा करते हैं तथा उन पर अपनी संस्कृति थोपना चाहते हैं। कुछ समय पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा मुम्बई में उत्तर भारतीयों के खिलाफ अभियान चलाया गया व उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को वहां से भगाने की घोषणा की। ऐसे कृत्य न सिर्फ राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक बल्कि संविधान के प्रावधानों का भी उल्लंखन हैं। कुछ राज्यों में जाति विशेष या दल के नाम पर या विचारधारा के आधार पर क्षेत्रीय दलों ने कथित 'सेनाएं' बना रखी हैं। जैसे ब्राह्मणों की परशुराम सेना, अशोक सेना, बजरंग दल, लाल सेना, दलित सेना, भीम सेना, सपा की यूथ बिग्रेड, एकलव्य सेना, दुर्गावाहिनी आदि न जाने कौन-कौन सी सेनाएं आए दिन बन रही हैं। जिसके पीछे हिंसा का दर्शन कार्य कर रहा है। जब देश की आन्तरिक व्यवस्था के लिए पुलिस है तथा सीमाओं की रक्षा के लिए समर्थ सेना है तो अन्य सेनाओं कि किया आवश्यकता है? इन कथित सेनाओं के कथित सैनिक देश की एकता और अखण्डता पर कुठाराघात करते हैं। अधिकांश क्षेत्रीय दल निजी जागीर या प्राइवेट लि0 कम्पनी की तरह कार्य कर रहे हैं। ऐसे दलों के भीतर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया लगभग पूरी तरह समाप्त हो गई है। पदाधिकारियों का लोकतान्त्रिक ढ़ंग से चुनाव नही होता अपितु एक खास परिवार या व्यक्ति की मर्जी से उन्हें मनोनीत किया जाता है। परिणामस्वरुप किसी भी तरह के राष्ट्र विरोधी या राष्ट्रीय एकता को खण्डित करने वाले फैसले का विरोध दल के अन्दर कोई नही कर सकता। जातियों पर आधारित रानीतिक दलों ने न सिर्फ लोकतान्त्रिक संस्थाओं को कमजोर किया है बल्कि जातिवाद के जहर से राष्ट्रीय एकता व अखण्डता को भी अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है। अब एक 'वोटर' साधारण 'वोटर' नही है बल्कि स्वर्ण वोट, दलित वोट, मुस्लिम वोट, पिछड़ा वोट आदि न जाने कितने प्रकार के नामों से जाना जाता है। 'वोट बैंक' की राजनीति ने लोकतन्त्र और राष्ट्रीय एकीकरण की राह में रोड़े अटकाए हैं। यद्यपि कुछ विश्लेषक मानते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलू हैं। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष के लिए सरकार पर दबाव डालना या आन्दोलन करने से यदि विशेष पिछड़ें क्षेत्र को लाभ होता है या वहाँ के नागरिकों की समस्याओं का निदान होता है तो इसमें कोई बुराई नही है। लेकिन इसकी आड़ में अलगाववादी भावना फैलाना, नफरत की भावना बढ़ाना, दूसरे क्षेत्र के लोगों को वहाँ से भगाना या किसी एक खास जाति या वर्ग को सुविधाएँ या लाभ देना, राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करना ये सभी तथ्य क्षेत्रीय राजनीति के नकारात्क पहलू हैं तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए बाधक हैं। ऐसी क्षेत्रीय संकीर्ण राजनीति पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत मे आवश्यकतानुरुप एक शक्तिशाली केन्द्र के साथ सहयोगी संघवाद की स्थापना की थी। संघवाद से सम्बन्धित संविधान के प्रावधानों से स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं ने सुविचारित तरीके से केन्द्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान की। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत जैसे विशाल देश जहाँ अनेक क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक और भाषायी विविधता पाई जाती हैं वहाँ एक शक्तिशाली केन्द्र का होना आवश्यक है। यह बात संविधान निर्माण के समय देश के विभाजन तथा राष्ट्रीय एकीकरण के अभाव तथा बाद में देश में उभरती अलगाववादी प्रवृतियों के आलोक में उचित प्रतीत होती है। परन्तु एक शक्तिशाली केन्द्र की आवश्यकता एवं राज्यों की स्वायतता के मध्य सन्तुलन अपेक्षित है ताकि राष्ट्रीय एकीकरण एवं विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

संदर्भ

1. रजनी कोठारी, भारत राजनीतिः कल और आज
2. रजनी कोठारी, पोलटिक्स इन इण्डिया
3. रजनी कोठारी, स्टेट और नेशन बिल्डिंग
4. ओ.पी.गाबा, राजनीतिक सिद्धांत की रुपरेखा।
5. प्रतियोगिता दर्पण के विभिन्न मासिक अंको के लेख